

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 92/2022

तारीख दायर 13/04/2022

मांगीलाल पुत्र देबीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. मोहन पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. ज्ञानमल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. लालु पुत्र देबीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. नानालाल पुत्र देबीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. कमलेश पुत्र रामलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. सुरजमल पुत्र देबीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा०ले०रे०एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 13/04/2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 181 पर अंकित आराजी संख्या 168/3 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, आराजी संख्या 169/2 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, आराजी संख्या 170/3 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, आराजी संख्या 171/1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, आराजी संख्या 199/2 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, आराजी संख्या 200/2 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, आराजी संख्या 212/1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी संख्या 213/1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी संख्या 214/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या 378/3 रकबा 0.6232 हैक्टेयर, आराजी संख्या 378/5 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आराजी संख्या 379/4 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, आराजी संख्या 383/1 रकबा 0.3480 हैक्टेयर कुल किता 13 रकबा 2.3878 हैक्टेयर भूमि भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ